मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च-मई, 1991 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 14 मार्च, 1991 (फाल्गुन 23, 1912)
समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिए जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिये विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम 1976 (क्रमांक 26, सन् 1976) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1976-77 से वर्ष 1983-84 तक पटल पर रखेंगे.

(2) श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार एम.पी. एग्रो आइल्स एण्ड केटल फीड लिमिटेड का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1981-82 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य, बारना बांध की नहरों से रिसन के कारण बुधनी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीणों को हो रही परेशानी की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) लाल राजेन्द्रसिंह बघेल, सदस्य, कटनी में तालाबों के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न मिल पाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री मदनसिंह, सदस्य, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पंचम प्रतिवेदन से सहमत हैं "

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 30 मिनिट

श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन और विधि मान्यकरण) संशोधन विधेयक, 1991 (क्रमांक 6, सन् 1991) पर विचार किया जाय,

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. नियम-130 के अधीन सामान्य लोकहित के विषय पर चर्चा

1 घन्टा गर्भ जल परीक्षण द्वारा लिंग निर्धारण को अवैध घोषित करके बालिका भ्रूण हत्या पर पाबंदी लगाने संबंधी प्रस्ताव पर श्रीमती नेहा सिंह एवं श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

7. नियम-139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा (1) श्री तेज सिंह सेंधव, सदस्य वनों की सुरक्षा एवं पर्यावरण के सुधार संबंधी चर्चा उठायेंगे.

1 घन्टा (2) प्रदेश में घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने के संबंध में श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपालः
दिनांक 13 मार्च, 1991.

विजेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा